न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
सूरताराम पुत्र खीयारामजी, जाति विश्नोई, निवासी सांकड तहसील सांचौर, जिला जालोर		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः–25.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष पटवारी हल्का सांकड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा मौजा सांकड के खसरा नंबर 1609 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गौचर भूमि पर संवत 2072 से अतिक्रमण कर बाडा बना दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रूपये शस्ति के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.05.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट एक भूमिहीन व्यक्ति है जो वादग्रस्त आराजी पर 40 वर्षों से निवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को रहने हेतु भूमि का आवंटन किया जावे। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने के कारण अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में तामिल हेतु जारी नोटिस अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बाहर होने के कारण अपीलांट की पत्नी द्वारा तामिल किया गया था। एवं अपीलांट की पत्नी द्वारा दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में साक्ष्य सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई, साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा सांकड के खसरा नंबर 1609 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गौचर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से बाडा बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा सांकड के खसरा नंबर 1609 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गौचर भूमि पर संवत 2072 से अतिक्रमण कर बाडा बनाने के कारण पटवारी हल्का सांकडा द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 21.12.2015 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलांट की पत्नी द्वारा तामिल हुआ। जो कि सम्यक तामिल की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात दिनांक 21.12.2015 को अपीलांट की पत्नी न्यायालय में उपस्थित हुई। एवं इस पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि की किस्म गौचर है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 21/2015 में नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 08/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर